[2019] 1 उम. नि. प. 433

पटेल अहमद मोहम्मद

बनाम

बलवंत सिंह राजपूत और अन्य

26 सितम्बर, 2018

मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति (डा.) डी. वाई. चन्द्रचूड़

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) – धारा 81, 83 और 86 [सपठित गुजरात उच्च न्यायालय नियम, 1993 का नियम 282, 283, 284 और 285] – निर्वाचन अर्जी – कार्यालय आक्षेपों को दूर न करने के कारण निर्वाचन अर्जी को खारिज करने के लिए आवेदन – यदि आवेदन में इस बारे में कोई सकारात्मक कथन नहीं किया जाता है कि जब मामले को नियम 285 के अधीन न्यायालय के समक्ष विचारार्थ रखा गया था तब किस आक्षेप को दूर किया जाना शेष था तो आवेदन में की गई शिकायत के बारे में यह समझा जाएगा कि वह मात्र अटकलों और अनुमानों पर आधारित है ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 – धारा 81(3) – निर्वाचन अर्जी – निर्वाचन अर्जी की सही प्रति की तामील न किए जाने के आधार पर उसे खारिज करने के लिए आवेदन – यदि तामील की गई निर्वाचन अर्जी की प्रति में कुछ तात्विक त्रुटियां पाई जाती हैं तो उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह धारा 81(3) के अर्थान्तर्गत सही प्रति है ।

प्रस्तुत मामले में निर्वाचन अर्जी प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा फाइल की गई है जिसमें गुजरात विधान सभा के सदस्यों द्वारा तारीख 8 अगस्त, 2017 को हुए राज्य सभा के निर्वाचन में अपीलार्थी के निर्वाचन को इस आधार पर कि अपीलार्थी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 की उपधारा (1) और (2) के अर्थान्तर्गत 'रिश्वत' देने और 'असम्यक् असर डालने' वाले भ्रष्ट आचरण कारित किए थे और इस आधार पर भी चुनौती दी गई है कि रिटर्निंग आफिसर द्वारा दो

विधिमान्य मतों को अवैध रूप से और अनुचित रूप से खारिज किया गया था और इसके साथ-साथ उक्त अधिकारी द्वारा दो अविधिमान्य मतों को स्वीकार किया गया था, जिससे निर्वाचन के परिणाम पर तात्विक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । यह निर्वाचन अर्जी परिसीमा अवधि की अंतिम तारीख से काफी पहले तारीख 18 अगस्त, 2017 को फाइल की गई थी । अपीलार्थी को उच्च न्यायालय के तारीख 21 अगस्त, 2017 के आदेश के अनुसरण में निर्वाचन अर्जी में उपस्थित होने के लिए तारीख 7 सितम्बर, 2017 को समन की तामील की गई थी । अपीलार्थी ने तारीख 4 अक्तूबर, 2017 को अपना लिखित कथन फाइल किया और निर्वाचन अर्जी को प्रारंभ में ही खारिज करने के लिए कथित तीन आवेदन भी फाइल किए । प्रथम आवेदन को 2017 के निर्वाचन आवेदन सं. 2 के रूप में संख्यांकित किया गया था, जिसमें अपीलार्थी ने निर्वाचन अर्जी को प्रमुख रूप से गुजरात उच्च न्यायालय नियम, 1993 के नियम 282 (ii) और (iii) के अननुपालन के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की थी क्योंकि नियम 284 के अधीन यथा-अनुध्यात ऐसे अननुपालन में सुधार करने के लिए कोई आदेश नहीं था और इसके लिए नियम 283 के पश्चात्वर्ती भाग में उपबंधित समय व्यतीत हो चुका था । दूसरे शब्दों में, निर्वाचन अर्जी तारीख 21 अगस्त, 2017 के आदेश को वापस मंगाने के पश्चात् नियम 284 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के कार्यालय/रजिस्ट्री द्वारा उठाए गए कार्यालय आक्षेपों को दूर न करने के कारण खारिज की जानी थी । दूसरे आवेदन को 2017 के निर्वाचन आवेदन सं. 3 के रूप में संख्यांकित किया गया था, जिसमें निर्वाचन अर्जी को गुजरात उच्च न्यायालय नियम, 1993 के साथ पठित अधिनियम के उपबंधों तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 19, नियम 3 के उपबंधों के अननुपालन के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की गई थी । इस आवेदन में जिन आधारों पर जोर दिया गया था वे अधिनियम की धारा 81(3), 81(3)(ग) और 83(2) के साथ पठित धारा 86(1) तथा सिविल प्रक्रिया संहिता और उच्च न्यायालय नियमों के उपबंधों के अनुसार भी निर्वाचन अर्जी को खारिज किए जाने के संबंध में थे । तीसरा आवेदन भी, जो कि 2017 का निर्वाचन आवेदन सं. 6 था, निर्वाचन अर्जी को,

उसमें वाद हेतुक को प्रकट न करने और अर्जी के विधि द्वारा वर्जित होने के कारण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7, नियम 11(क) और (घ) के अधीन आरंभ में ही खारिज किए जाने के लिए था । जैसा कि ऊपर कथन किया गया है, सभी तीन निर्वाचन आवेदनों को उच्च न्यायालय द्वारा सामान्य आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया है । अपीलार्थी ने, उच्च न्यायालय के उक्त विनिश्चय से व्यथित होकर, विशेष इजाजत लेकर ये अपीलें फाइल की हैं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों और उससे संलग्न आवेदनों का तद्नुसार निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – गुजरात उच्च न्यायालय नियम, 1993 के नियम 282, 283, 284 और 285 के पठन मात्र से यह स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा निर्वाचन अर्जी को नियम 285 के अनुसार कार्यालय आक्षेपों को दूर करने के पश्चात् ही न्यायालय के समक्ष आदेशों के लिए रखा जाना होता है । यदि कार्यालय आक्षेप लंबित हैं और उन्हें विहित अवधि के भीतर दूर नहीं किया गया है तो कार्यालय मामले को नियम 284 के अधीन समुचित आदेशों के लिए न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए आबद्ध है । उच्च न्यायालय ने इस कारण यह राय व्यक्त की कि निर्वाचन अर्जीदार द्वारा फाइल किए गए आवेदन में किसी सकारात्मक कथन के अभाव में और जैसा कि अभिलेख से दर्शित होगा कि मामला नियम 285 के अधीन न्यायालय के समक्ष रखा गया था, इसका यह निष्कर्ष निकलना चाहिए कि विचाराधीन आवेदन में की गई शिकायत मात्र अटकलों और अनुमानों पर आधारित थी और वह निर्वाचन अर्जी को, जैसी कि प्रार्थना की गई है, प्रारंभ में ही खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है । उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए उक्त दृष्टिकोण से सादर सहमत है और परिणामस्वरूप विचाराधीन आवेदन को, जो कि 2017 का निर्वाचन आवेदन सं. 2 है, खारिज करने वाला आदेश कायम रखा जाना चाहिए । (पैरा 12)

अपीलार्थी द्वारा की गई शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के पैरा 35 में अभिलिखित यह तथ्यात्मक स्थिति सही नहीं है कि अपीलार्थी ने न्यायालय में वह प्रति प्रस्तुत नहीं की थी जो कि उसे वास्तव में तामील की गई थी । इस संबंध में, अपीलार्थी ने

2018 के निर्वाचन आवेदन सं. 3 के साथ वास्तव में तामील की गई प्रति की फोटो-प्रति प्रस्तुत की थी और वास्तव में तामील की गई मूल प्रति को सुनवाई के समय प्रस्तुत करने का वचनबंध भी किया था और यह कि वह सुनवाई के समय इस प्रकार प्रस्तुत की गई थी और उच्च न्यायालय को सौंप दी गई थी । यह विनिर्दिष्ट अभिवाक् विशेष इजाजत याचिका के आधार (प) में किया गया है । दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने उस संबंध में प्रत्यक्ष त्रुटि कारित की थी । यदि ऐसा है तो पक्षकारों को इस शिकायत पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अवनत करना उचित होगा कि अपीलार्थी को वास्तव में तामील की गई प्रति अधिनियम की धारा 81(3) के अर्थान्तर्गत सही प्रति नहीं है । अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष किया गया अभिवाक् यह है कि अपीलार्थी ने उसे तामील की गई निर्वाचन अर्जी की प्रति में 20 त्रुटियों की ओर संकेत किया था और जिसका एक चार्ट विशेष इजाजत याचिका के खंड 4 के पृष्ठ 855-867 पर संलग्न किया गया है, जो कि अपीलार्थी के अनुसार, तात्विक त्रुटियां थीं जिसके कारण यह निष्कर्ष निकालना आवश्यक था कि उसे तामील की गई अर्जी की प्रति अधिनियम की धारा 81(3) के अर्थान्तर्गत "सही प्रति" नहीं थी । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में इस दलील पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है । इस कारण भी, विचाराधीन आवेदन के संबंध में, जो कि 2017 का निर्वाचन आवेदन सं. 3 है, उच्च न्यायालय के विनिश्चय को अपास्त करना होगा और पक्षकारों को उस पर विधि के अनुसार उसके अपने गुणागुण के आधार पर नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अवनत करना होगा । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, जानबूझकर परस्पर विरोधी अभिवचनों और इस विवाद्यक के गुणागुण के संबंध में दी गई दलीलों का उल्लेख करने से बचा जा रहा है जिससे कि किसी भी पक्षकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और 2017 के प्रतिप्रेषित निर्वाचन आवेदन सं. 3 को विधि के अनुसार नए सिरे से विनिश्चित किया जा सके । संबंधित पक्षकारों के पास इस संबंध में उपलब्ध सभी दलीलों को खुला रखा जाता है । 2017 के निर्वाचन आवेदन सं. 3 में निर्वाचन अर्जी को खारिज करने के लिए विनिश्चित किया जाने वाला प्रश्न अधिनियम की धारा 81(3) के अननुपालन और उससे निकलने वाले परिणामों तक

सीमित होगा, जिसके अंतर्गत धारा 86(1) भी है । पश्चात्वर्ती उपबंध के अधीन निर्वाचन अर्जी को केवल उस आधार पर न कि अधिनियम की धारा 83 के अधीन अपेक्षाओं के किसी अननुपालन के प्रतिनिर्देश से खारिज करना परिकल्पित है । (पैरा 16 और 17)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2005] (2005) 2 एस. सी. सी. 188 :
चन्द्रकांत उत्तम छोदनकर बनाम **दयानंद रायु मंद्राकर और अन्य** ; 10

[1999] (1999) 4 एस. सी. सी. 274 :
टी. एम. जैकब बनाम **सी. पौलोस और अन्य** ; 14

[1964] [1964] 6 एस. सी. आर. 213 :
चौ. सुब्बाराव बनाम **सदस्य, निर्वाचन अधिकरण** ; 14

[1964] [1964] 3 एस. सी. आर. 573 :
मुरारका राधे श्याम राम कुमार बनाम **रूप सिंह राठौड़** । 14

सिविल अपीली अधिकारिता : 2018 की सिविल अपील सं. 10005-10007.

2017 की निर्वाचन अर्जी सं. 1 में 2017 के निर्वाचन आवेदन सं. 2, 3 और 6 में गुजरात उच्च न्यायालय की अहमदाबाद न्यायपीठ के तारीख 20 अप्रैल, 2018 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलें ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री डा. अभिषेक मनु सिंघवी, हरिन पी. रावल, ज्येष्ठ अधिवक्ता, देवदत्त कामत, पंकज चंपानेरी, वरुण चोपड़ा, अमित भंडारी, निज़ाम पाशा, आदित्य भट्ट, जावेदुर रहमान, राजेश इनामदार और गौतम तालुकदार

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री सत्यपाल जैन, ज्येष्ठ अधिवक्ता, देवांग व्यास, सिद्धार्थ दवे, अमित शर्मा और आर. सी. कोहली

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर ने दिया ।

न्या. खानविलकर – इजाजत दी जाती है ।

2. ये अपीलें 2017 की निर्वाचन अर्जी सं. 1 में 2017 के निर्वाचन आवेदन सं. 2, 3 और 6 में गुजरात उच्च न्यायालय की अहमदाबाद न्यायपीठ द्वारा पारित तारीख 20 अप्रैल, 2018 के निर्णय और आदेश के अपवादस्वरूप फाइल की गई हैं । उक्त आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा 2017 की निर्वाचन अर्जी सं. 1 को प्रारंभ में ही खारिज करने की ईप्सा करने के लिए फाइल किए गए सभी तीन आवेदनों को खारिज कर दिया था ।

3. 2017 की निर्वाचन अर्जी सं. 1 प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा फाइल की गई है जिसमें गुजरात विधान सभा के सदस्यों द्वारा तारीख 8 अगस्त, 2017 को हुए राज्य सभा के निर्वाचन में अपीलार्थी के निर्वाचन को इस आधार पर कि अपीलार्थी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 123 की उपधारा (1) और (2) के अर्थान्तर्गत "रिश्वत" देने और "असम्यक् असर डालने" वाले भ्रष्ट आचरण कारित किए थे और इस आधार पर भी चुनौती दी गई है कि रिटर्निंग आफिसर द्वारा दो विधिमान्य मतों को अवैध रूप से और अनुचित रूप से खारिज किया गया था और इसके साथ-साथ उक्त अधिकारी द्वारा दो अविधिमान्य मतों को स्वीकार किया गया था, जिससे निर्वाचन के परिणाम पर तात्विक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । यह निर्वाचन अर्जी परिसीमा अवधि की अंतिम तारीख से काफी पहले तारीख 18 अगस्त, 2017 को फाइल की गई थी ।

4. अपीलार्थी को उच्च न्यायालय के तारीख 21 अगस्त, 2017 के आदेश के अनुसरण में निर्वाचन अर्जी में उपस्थित होने के लिए तारीख 7 सितम्बर, 2017 को समन की तामील की गई थी । अपीलार्थी ने तारीख 4 अक्तूबर, 2017 को अपना लिखित कथन फाइल किया और

निर्वाचन अर्जी को प्रारंभ में ही खारिज करने के लिए कथित तीन आवेदन भी फाइल किए । प्रथम आवेदन को 2017 के निर्वाचन आवेदन सं. 2 के रूप में संख्यांकित किया गया था, जिसमें अपीलार्थी ने निर्वाचन अर्जी को प्रमुख रूप से गुजरात उच्च न्यायालय नियम, 1993 के नियम 282 (ii) और (iii) के अननुपालन के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की थी क्योंकि नियम 284 के अधीन यथा-अनुध्यात ऐसे अननुपालन में सुधार करने के लिए कोई आदेश नहीं था और इसके लिए नियम 283 के पश्चात्वर्ती भाग में उपबंधित समय व्यतीत हो चुका था । दूसरे शब्दों में, निर्वाचन अर्जी तारीख 21 अगस्त, 2017 के आदेश को वापस मंगाने के पश्चात् नियम 284 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के कार्यालय/ रजिस्ट्री द्वारा उठाए गए कार्यालय आक्षेपों को दूर न करने के कारण खारिज की जानी थी । दूसरे आवेदन को 2017 के निर्वाचन आवेदन सं. 3 के रूप में संख्यांकित किया गया था, जिसमें निर्वाचन अर्जी को गुजरात उच्च न्यायालय नियम, 1993 के साथ पठित अधिनियम के उपबंधों तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 19, नियम 3 के उपबंधों के अननुपालन के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की गई थी । इस आवेदन में जिन आधारों पर जोर दिया गया था वे अधिनियम की धारा 81(3), 81(3)(ग) और 83(2) के साथ पठित धारा 86(1) तथा सिविल प्रक्रिया संहिता और उच्च न्यायालय नियमों के उपबंधों के अनुसार भी निर्वाचन अर्जी को खारिज किए जाने के संबंध में थे । तीसरा आवेदन भी, जो कि 2017 का निर्वाचन आवेदन सं. 6 था, निर्वाचन अर्जी को, उसमें वाद हेतुक को प्रकट न करने और अर्जी के विधि द्वारा वर्जित होने के कारण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7, नियम 11(क) और (घ) के अधीन आरंभ में ही खारिज किए जाने के लिए था । जैसा कि ऊपर कथन किया गया है, सभी तीन निर्वाचन आवेदनों को उच्च न्यायालय द्वारा सामान्य आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया है ।

5. अपीलार्थी ने, उच्च न्यायालय के उक्त विनिश्चय से व्यथित होकर, विशेष इजाजत लेकर ये अपीलें फाइल की हैं । हम आक्षेपित निर्णय को दी गई चुनौती के संबंध में, संबद्ध आवेदन के प्रतिनिर्देश से

क्रमानुसार विचार करेंगे ।

6. प्रथम आवेदन, अर्थात् 2017 के निर्वाचन आवेदन सं. 2 पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने सारतः यह राय व्यक्त की कि अपीलार्थी द्वारा फाइल किए गए उक्त आवेदन में किए गए प्रकथन अस्पष्ट और निराधार थे । उसने यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी इस संबंध में निश्चित नहीं था कि जब उसके द्वारा आवेदन फाइल किया गया था तब कार्यालय आक्षेपों को दूर किया गया था अथवा नहीं । इसके अतिरिक्त, आवेदन में इस बारे में कोई विनिर्दिष्ट प्रकथन नहीं था कि उच्च न्यायालय के कार्यालय/रजिस्ट्री द्वारा उठाए गए किसी आक्षेप को दूर नहीं किया गया था । आवेदन में जो कुछ कहा गया था वह यह था कि उन आक्षेपों को, जो कार्यालय द्वारा उठाए गए थे, दूर नहीं किया गया था क्योंकि शासकीय अभिलेख में यह उपदर्शित करने के लिए कोई टिप्पणी नहीं पाई गई थी कि उन्हें परिसीमा अवधि समाप्त होने से पूर्व सम्यक् रूप से दूर कर दिया गया था । अपीलार्थी की ओर से जिस आधार पर जोर दिया गया था उसकी उच्च न्यायालय ने अनुशंसा नहीं की थी क्योंकि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि वह मात्र अटकलों और अनुमानों पर आधारित था । उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत यह निष्कर्ष निकाला कि नियम 284 के अनुसार, मामला उच्च न्यायालय के समक्ष केवल तभी, जब आक्षेपों को उसके लिए नियत समय के भीतर दूर नहीं किया गया हो या नियम 283 के अधीन न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश, यदि कोई हो, के अनुसार, सूचीबद्ध किया जाना था । दूसरी ओर, प्रश्नगत अर्जी न्यायालय के समक्ष नियम 285 के अधीन रखी गई थी जिससे यह पूर्वकल्पित होता है कि ऐसा केवल कार्यालय आक्षेपों को सम्यक् रूप से दूर करने के पश्चात् ही किया गया था । न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि यदि कार्यालय द्वारा मामले को नियम 285 के अधीन न्यायालय के समक्ष रखा गया था तो यह उपधारित किया जाना होगा कि कार्यालय ने अर्जी की सम्यक् संवीक्षा करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर ही ऐसा किया था कि कार्यालय आक्षेपों को सम्यक् रूप से दूर कर दिया गया था । इसके अलावा, यह उच्च न्यायालय का केवल एक प्रशासनिक कृत्य है और यह निर्वाचन अर्जी को प्रारंभ में ही खारिज करने का आधार नहीं हो

सकता था । उच्च न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि विचाराधीन आवेदन अपीलार्थी द्वारा समन की तामील किए जाने की तारीख से एक मास पश्चात् फाइल किया गया था और अपीलार्थी द्वारा तारीख 4 अक्तूबर, 2017 को फाइल किए गए लिखित कथन में विचाराधीन अभिवाक् नहीं लिया गया था । उच्च न्यायालय ने अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी द्वारा फाइल किए गए आवेदन में इस बारे में किसी सकारात्मक कथन के अभाव में कि मामले को नियम 285 के अधीन न्यायालय के समक्ष विचारार्थ रखने से पूर्व निर्वाचन अर्जीदार (प्रत्यर्थी सं. 1) द्वारा कौन से कार्यालय आक्षेप को दूर नहीं किया गया था, अपीलार्थी द्वारा उठाया गया आक्षेप अटकलों और अनुमानों से परिपूर्ण था । इसे निर्वाचन अर्जी को कार्यालय आक्षेपों को दूर न किए जाने के आधार पर खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता था । इस पहलू से संबंधित आक्षेपित निर्णय का सुसंगत उद्धरण निम्नलिखित रूप में है :–

> "32. ..... न्यायालय की राय में, उक्त निवेदन में मूलभूत भ्रांति है । ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं आवेदक इस बारे में आश्वस्त नहीं था कि उसके द्वारा जब 2017 का निर्वाचन आवेदन सं. 2 फाइल किया गया था तब कार्यालय आक्षेपों को वास्तव में दूर कर दिया गया था अथवा नहीं चूंकि आवेदन में ऐसा कोई विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं किया गया है कि उच्च न्यायालय के कार्यालय/रजिस्ट्री द्वारा उठाए गए कौन से आक्षेप को दूर नहीं किया गया था और उसमें यह कहा गया है कि "ऐसा प्रतीत होता है कि उन आक्षेपों को जो कार्यालय द्वारा उठाए गए थे, दूर नहीं किया गया था ।" ऐसा प्रतीत होता है कि यह आवेदन मात्र अटकलों और अनुमानों के आधार पर फाइल किया गया था । इसके अलावा, कार्यालय से यह अपेक्षा थी कि वह मामले को नियम 284 के अधीन केवल तभी समुचित आदेशों के लिए प्रस्तुत करता यदि आक्षेपों को नियत समय के भीतर दूर नहीं किया गया था या नियम 283 के अधीन न्यायालय द्वारा पारित आदेश, यदि कोई हो, के अनुसार प्रस्तुत करता ।

33. अर्जीदार ने उक्त आवेदन के उत्तर में, उक्त अभिकथन से इनकार करते समय, शपथ पर यह कथन किया है कि अर्जीदार ने, अर्जी को न्यायालय के समक्ष वास्तव में विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, समस्त आक्षेपों को दूर कर दिया था । अर्जी उचित रूप से कार्यालय आक्षेपों को दूर करने के पश्चात् ही नियम 285 के अधीन न्यायालय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जा सकती थी अन्यथा मामला कार्यालय द्वारा नियम 284 के अनुसार आक्षेप दूर न किए जाने के कारण समुचित आदेशों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । कार्यालय द्वारा नियम 284 के अधीन ऐसे किसी आदेश की ईप्सा नहीं की गई थी जिसके द्वारा यह उपधारणा की जाती कि कार्यालय ने अर्जी की संवीक्षा करने के पश्चात् और अर्जीदार द्वारा कार्यालय आक्षेपों को दूर करने के पश्चात् मामले को न्यायालय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया था । जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने चन्द्रकांत उत्तम (उपर्युक्त) वाले मामले में अभिनिर्धारित किया है, निर्वाचन अर्जी की संवीक्षा करना एक ऐसा प्रशासनिक कृत्य है जिसका पालन उच्च न्यायालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है और ऐसे कार्य से यह उपधारणा की जाएगी कि वह कार्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(ङ) के निबंधनानुसार किया गया है ।

34. यह उल्लेख करना भी उचित है कि मामले को रोस्टर के अनुसार न्यायालय के समक्ष रखे जाने के पश्चात्, न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को तारीख 21 अगस्त, 2017 को समन जारी किए थे जिसके द्वारा प्रत्यर्थियों को न्यायालय के समक्ष तारीख 21 सितम्बर, 2017 को उपस्थित होने का निदेश दिया गया था । इसके पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री चम्पानेरी ने यह कथन किया था कि उसने लिखित कथन फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय की ईप्सा करते हुए एक पृथक् आवेदन फाइल किया था । इसके पश्चात्, मामले को तारीख 6 अक्तूबर, 2017 को प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था । इसी बीच, प्रत्यर्थी सं. 1 ने लिखित कथन और प्रस्तुत आवेदन तारीख 4 अक्तूबर, 2017 को फाइल किए थे ।

उपस्थिति फाइल किए जाने के पश्चात्, अपीलार्थी (मूल प्रत्यर्थी सं. 1) की ओर से विद्वान् अधिवक्ता ने किसी भी समय इस आशय की ऐसी कोई दलील नहीं दी थी कि यह अर्जी न्यायालय के समक्ष सभी कार्यालय आक्षेपों को दूर किए बिना विचारार्थ रखी गई थी । यह सही है कि तारीख 18 अगस्त, 2017 को अर्जी उपस्थापित किए जाने पर कार्यालय ने कार्यालय आक्षेपों की ओर संकेत किया था, अर्थात्, प्ररूप ख में विहित जांच-सूची में सूचीबद्ध सं. 19, 22 और 23. कार्यालय आक्षेप सं. 19 इस बारे में है कि पृष्ठ संख्या डाली गई है अथवा नहीं; आक्षेप सं. 22 इस बारे में है कि प्रतियां सही, पठनीय हैं अथवा नहीं और किसी लिखित उपाबंध की टंकित प्रतियां फाइल की गई हैं अथवा नहीं तथा आक्षेप सं. 23क इस बारे में है कि प्रतियां अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित सही प्रतियां हैं अथवा नहीं । मामले को समुचित न्यायपीठ के समक्ष तारीख 21 अगस्त, 2017 को परिचालित करने के लिए अनुज्ञात किया गया था । अतः, यह न्यायसंगत रूप से संभव है कि अर्जीदार ने मामले को न्यायालय के समक्ष तारीख 21 अगस्त, 2017 को वास्तव में विचारार्थ रखे जाने से पूर्व उक्त कार्यालय आक्षेपों को दूर कर दिया था । आवेदक द्वारा फाइल किए गए आवेदन में इस बारे में किसी सकारात्मक कथन के अभाव में कि मामले को न्यायालय के समक्ष विचारार्थ रखने से पूर्व अर्जीदार द्वारा कौन से कार्यालय आक्षेपों को दूर नहीं किया गया था, मात्र अटकलों और अनुमानों के आधार पर फाइल किया गया 2017 का ऐसा आवेदन सं. 2, अर्जी को कार्यालय आक्षेपों को दूर न किए जाने के आधार पर खारिज करने के लिए ग्रहण नहीं किया जा सकता था ।" (जोर देने के लिए रेखांकन किया गया है)

7. उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार अपनाए गए मत को अपीलार्थी द्वारा इस तर्क के आधार पर चुनौती दी गई है कि उच्च न्यायालय यह उपधारणा नहीं कर सकता था कि उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा तारीख 18 अगस्त, 2017 को उल्लिखित कार्यालय आक्षेपों को सम्यक् रूप से दूर कर दिया गया था । इसके अलावा, यदि कार्यालय आक्षेपों को दूर नहीं किया गया था तो इससे आवश्यक रूप से

यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि रजिस्ट्री मामले को नियम 285 के अधीन न्यायालय के समक्ष नहीं रख सकती थी बल्कि उसे उच्च न्यायालय नियमों के नियम 284 के अधीन कार्यवाही करनी चाहिए थी । उस दशा में, कार्यालय आक्षेप विधिमान्य बने रहेंगे और जिस कारण तारीख 21 अगस्त, 2017 को पारित आदेश, जिसके द्वारा अपीलार्थी को कार्यवाहियों में उपस्थित होने के लिए समन जारी किए गए थे, वापस मंगाया जाना चाहिए और निर्वाचन अर्जी को कार्यालय आक्षेपों को परिसीमा अवधि के भीतर दूर ने किए जाने के कारण खारिज किया जाना चाहिए था । दूसरी ओर, प्रत्यर्थी सं. 1 ने उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन को नामंजूर करते हुए अभिव्यक्त किए गए मत का समर्थन किया और उसने हमारे समक्ष उन्हीं तर्कों को दोहराया ।

8. प्रश्न यह है: क्या उच्च न्यायालय द्वारा 2017 की निर्वाचन अर्जी सं. 2 को खारिज किए जाने के संबंध में अपनाया गया मत न्यायसंगत और उचित है ? इसके लिए हम इस बात का पता लगाने के लिए कि उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष संभावित मत है अथवा नहीं, प्रथमतः आवेदन में किए गए प्रकथनों पर विचार कर सकते हैं । सुसंगत प्रकथन विशिष्ट रूप से पैरा 10, 11 और 14 में पाए जा सकते हैं । वे निम्नलिखित रूप में हैं :–

> "10. ऐसा प्रतीत होता है कि निर्वाचन अर्जी फाइल किए जाने के पश्चात्, माननीय न्यायालय के कार्यालय/रजिस्ट्री ने अनेक आक्षेप उठाए हैं, जिन्हें आमतौर पर 'कार्यालय आक्षेप' के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है और जाना जाता है । यह कि धारा 283 के साथ पठित नियम 282(ii) के निबंधनानुसार, उन्हें अर्जीदार या उसके अधिवक्ता द्वारा नियम 282(ii) के अधीन उपबंधित और अनुबंधित उपस्थापित किए जाने की तारीख से तीसरे दिन तक दूर करना आबद्धकर था । अर्जी फाइल किए जाने की तारीख से तीसरा दिन 20 अगस्त को पड़ेगा ।
>
> 11. ऐसा प्रतीत होता है कि उन आक्षेपों को, जो कि कार्यालय द्वारा उठाए गए थे, दूर नहीं किया गया था और निर्वाचन अर्जी को तारीख 18 अगस्त को परिचालन के लिए किए गए अनुरोध के

अनुसरण में तारीख 21 अगस्त को रखा गया था । इस प्रकार, आवेदक/प्रत्यर्थी सं. 1 का सादर और नम्र निवेदन यह है कि नियम 282(ii) और नियम 283 का अननुपालन हुआ है ।

14. इस दृष्टि से कि माननीय न्यायालय द्वारा उठाए गए कार्यालय आक्षेपों और नियम 283क और 284 के साथ पठित नियम 282(ii) और (iii) के अधीन विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, सादर और नम्र निवेदन है कि इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश, नियम 285(i) के अधीन अनुध्यात प्रकृति का समन जारी करने संबंधी तारीख 21 अगस्त, 2017 का समयपूर्व प्रक्रम का आदेश था और इसलिए आवेदक/प्रत्यर्थी सं. 1 सादर यह निवेदन करना चाहता है कि उक्त आदेश को वापस मंगाया जाए और चूंकि कार्यालय द्वारा उपर्युक्त शीर्षक वाली अर्जी में, तारीख 17 अगस्त, 2017 को उसके फाइल किए जाने के पश्चात्, उठाए गए कार्यालय आक्षेपों को दूर नहीं किया गया है और न ही कोई समय अनुदत्त या विस्तारित किया गया है, इसलिए यह अर्जी खारिज की जानी चाहिए और यह प्रार्थना की जाती है कि इसे कार्यालय आक्षेपों को दूर न करने के कारण, नियम 283 के साथ पठित नियम 282(ii) और (iii) के अननुपालन के लिए खारिज किया जाए ।"

9. विचाराधीन आवेदन में किए गए इन प्रकथनों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि जब मामला उच्च न्यायालय नियमों के नियम 285 के अधीन तारीख 21 सितम्बर, 2017 को न्यायालय के समक्ष रखा गया था, तब किन कार्यालय आक्षेपों को दूर किया जाना शेष था । जैसा कि ऊपर कथन किया गया है, निर्वाचन अर्जी तारीख 18 अगस्त, 2017 को फाइल की गई थी, उसी दिन रजिस्ट्री द्वारा कार्यालय आक्षेपों का उल्लेख किया गया था, जैसा कि पेपरबुक के पृष्ठ 411 से अवेक्षणीय है । उसी दस्तावेज़ के नीचे कार्यालय आक्षेपों के स्तंभ में यह भी पाया गया है कि अधिसूचित संख्यांक केवल क्रम सं. 19, 22 और 23 हैं । उक्त कार्यालय आक्षेप निम्न प्रकार हैं :–

"19. क्या पृष्ठ संख्यांक डाले गए हैं ?

22. क्या प्रतियां सही, पठनीय हैं और क्या हस्तलिखित उपाबंध की टंकित प्रतियां फाइल की गई हैं ?

23. क्या प्रतियां, अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित सही प्रतियां हैं ?"

तीन कार्यालय आक्षेपों के क्रम संख्यांकों का उल्लेख करने के पश्चात्, एक और टिप्पण पाया गया है "(पी.सी.- 00)". प्रथमतः, यह टिप्पण स्पष्ट रूप से तारीख 18 अगस्त, 2017 को किया गया है । हमारे प्रयोजनार्थ जो कुछ सुसंगत है वह यह है कि कार्यालय द्वारा इस मामले पर गुजरात उच्च न्यायालय नियम, 1993 के नियम 285 के अधीन कार्यवाही की गई थी और उसे न्यायालय के समक्ष 21 सितम्बर, 2017 को रखा गया था । उस तारीख को, न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया :

"तारीख: 21/08/2017

मौखिक आदेश

गुजरात उच्च न्यायालय नियम, 1993 के नियम 285 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86(1) में अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थियों को नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार न्यायालय के समक्ष तारीख 21 सितम्बर, 2017 को उपस्थित होने के लिए समन जारी किए जाएं ।"

10. इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय ने, अपीलार्थी द्वारा उठाए गए आक्षेप को नामंजूर करते समय यह राय व्यक्त की कि चूंकि अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष यह प्राख्यान किया था कि कार्यालय आक्षेपों को परिसीमा अवधि से पूर्व दूर किया जाना शेष था इसलिए उसे अभिव्यक्त रूप से यह कथन करना चाहिए कि किस आक्षेप को दूर किया जाना शेष है और उसकी जानकारी का स्रोत क्या है । आवेदन में किए गए प्रकथनों से, भले ही उन्हें समग्र और उदार रूप में पढ़ा जाए, बिल्कुल भी यह संकेत नहीं मिलता है कि ऐसा कोई मामला साबित कर दिया गया है । अतः, उच्च न्यायालय ने **चन्द्रकांत उत्तम छोदनकर**

बनाम **दयानंद रायु मंद्राकर और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की प्रतिपादना का अवलंब लेते हुए यह राय व्यक्त की कि निर्वाचन अर्जी की संवीक्षा करना एक ऐसा प्रशासनिक कृत्य है जिसका पालन उच्च न्यायालय के कार्यालय द्वारा किया जाता है और ऐसे शासकीय कार्य से यह उपधारणा की जाएगी कि कार्यालय द्वारा समस्त आवश्यक कदम उठाए गए हैं और कार्यालय द्वारा इस संबंध में समाधान हो जाने पर मामले को न्यायालय के समक्ष नियम 285 के अधीन समुचित आदेशों के लिए रखा गया था ।

11. हम उच्च न्यायालय के उन नियमों के प्रति लाभप्रद रूप से निर्देश कर सकते हैं जिनका विचाराधीन मुद्दे से कुछ संबंध हो, अर्थात्, नियम 282, 283, 284 और 285 ये नियम निम्नलिखित रूप में हैं :-

*"282. अर्जी -

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80क के अधीन उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब लेने वाला प्रत्येक आवेदन, उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों को संबोधित अर्जी द्वारा किया जाएगा ।

(ii) वह अर्जी अधिनियम की धारा 81, 82, 83 और 84 के उपबंधों के अनुपालन में होगी और अर्जी में उन आधारों का, जिन पर अनुतोष की ईप्सा की गई है, स्पष्ट रूप से कथन किया जाएगा जिन्हें क्रमानुसार संख्यांकित उपयुक्त पैराओं में व्यवस्थित किया जाएगा । ईप्सित अनुतोष को अर्जी के अंत में उपवर्णित किया जाएगा ।

---

*अंग्रेज़ी में यह इस प्रकार है :-

"282. Petition. –

(i) Every application invoking the jurisdiction of the High Court under section 80A of the Representation of the people Act, 1951, shall be by petition addressed to the Honorable the Chief Justice and Judges of the High Court.

(ii) The petition shall comply with the provisions of section 81, 82, 83 and 84 of the Act and the grounds on which the relief are sought shall be clearly stated in the petition which shall be arranged in suitable paragraphs consecutively numbered. The relief sought should be set out at the end of the petition.

[1] (2005) 2 एस. सी. सी. 188.

(iii) अर्जी में किसी आदेशिका की तामील के लिए अर्जी के समस्त पक्षकारों के पूरे नामों और पूरे पतों का कथन किया जाएगा । अर्जी में प्रत्यर्थी के स्थायी निवास-स्थान और पतों के अतिरिक्त प्रत्यर्थी के उस वर्तमान पते का कथन भी किया जाएगा, जहां सूचना की तामील की जा सकती है ।"

"283. अर्जी की परीक्षा –

कार्यालय, इस बात का पता लगने के लिए अर्जी की परीक्षा करेगा कि क्या वह उसे लागू विधि और नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप है और यदि वह विधि और नियमों के अनुरूप नहीं है तो ऐसे आक्षेप उठाएगा, जिन्हें पक्षकार या संबंधित अधिवक्ता द्वारा दूर किया जाना चाहिए । कार्यालय अर्जी फाइल किए जाने के पश्चात् दो दिन के भीतर परीक्षा पूरी कर लेगा और कार्यालयों आक्षेपों की जानकारी नियम 282(ii) के अधीन उपस्थिति के लिए नियत तारीख को पक्षकार या अधिवक्ता को देगा और ऐसे आक्षेपों को न्यायालय के आदेशों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए इसके पश्चात् तीन दिन के भीतर दूर किया जाएगा ।"

"284. यदि आक्षेपों को दूर नहीं किया जाता है तो अर्जी को आदेशों के लिए रखा जाना –

(iii) The full names and the full addresses of all the parties to the petition for service of any process shall be stated in the petition. In addition to the permanent residence and addresses of the respondent the present address of the respondent at which service of the notice may be effected, shall be stated in the petition."

"283. Examination of petition. –

The office shall examine the petition with a view to see whether it is in conformity with the requirements of law and rules applicable to the same, and if it is not in conformity with law and rules, raise objections which should be removed by the party or the Advocate concerned. The office shall complete the examination within two days after filing of the petition and shall bring the office objections to the notice of the party or the Advocate on the date fixed for attendance under rule 282(ii) and such objections shall be removed, subject to the orders of the Court, if any, within three days thereafter."

"284. Petition to be placed for orders if objection not removed. –

अर्जी को, आक्षेपों को दूर करने के लिए नियत समय के समाप्त हो जाने के पश्चात्, न्यायाधीश के समक्ष समुचित आदेशों के लिए रखा जाएगा ।"

"285. कार्यालय आक्षेपों को दूर किए जाने के पश्चात् अर्जी को आदेशों के लिए रखा जाना –

(i) कार्यालय आक्षेपों को दूर करने के पश्चात्, अर्जी को न्यायाधीश के समक्ष इस संबंध में विचारार्थ रखा जाएगा कि क्या अर्जी अधिनियम की धारा 86(1) के अधीन खारिज किए जाने योग्य है । यदि अर्जी को अधिनियम की धारा 86(1) के अधीन खारिज नहीं किया जाता है तो न्यायाधीश प्रत्यर्थी को समन जारी करने का निदेश देगा और प्रत्यर्थी को उच्च न्यायालय के समक्ष नियत तारीख को उपस्थित होने और अर्जी में किए गए दावे या दावों का उत्तर देने के लिए समन जारी किए जाएंगे ।"

12. उक्त नियमों के पठन मात्र से यह स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा निर्वाचन अर्जी को नियम 285 के अनुसार कार्यालय आक्षेपों को दूर करने के पश्चात् ही न्यायालय के समक्ष आदेशों के लिए रखा जाना होता है । यदि कार्यालय आक्षेप लंबित हैं और उन्हें विहित अवधि के भीतर दूर नहीं किया गया है तो कार्यालय मामले को नियम 284 के अधीन समुचित आदेशों के लिए न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए आबद्ध है । उच्च न्यायालय ने इस कारण यह राय व्यक्त की कि निर्वाचन अर्जीदार द्वारा फाइल किए गए आवेदन में किसी सकारात्मक कथन के अभाव में और जैसा कि अभिलेख से दर्शित होगा कि मामला नियम 285 के अधीन न्यायालय के समक्ष रखा गया था, इसका यह

Immediately after the expiration of time fixed for the removal of objections, the petition shall be placed before the Judge for appropriate orders."

"285. Petition to be placed for orders after removal of office objections. –

(i) After the removal of office objections, the petition shall be placed before the Judge for consideration as to whether the petition is liable to be dismissed under section 86(1) of the Act. If the petition is not dismissed under section 86(1) of the Act, the Judge shall direct issue of summons upon the respondent; and the summons shall be issued to the respondent to appear before the High Court on the date fixed and answer the claim or claims made in the petition."

निष्कर्ष निकलना चाहिए कि विचाराधीन आवेदन में की गई शिकायत मात्र अटकलों और अनुमानों पर आधारित थी और वह निर्वाचन अर्जी को, जैसी कि प्रार्थना की गई है, प्रारंभ में ही खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है । हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए उक्त दृष्टिकोण से सादर सहमत हैं और परिणामस्वरूप विचाराधीन आवेदन को, जो कि 2017 का निर्वाचन आवेदन सं. 2 है, खारिज करने वाला आदेश कायम रखा जाना चाहिए ।

13. अपीलार्थी द्वारा फाइल किए गए दूसरे आवेदन में, जो कि 2017 का निर्वाचन आवेदन सं. 3 है, शिकायत में इस बात पर बल दिया गया था कि अपीलार्थी को तामील की गई निर्वाचन अर्जी की प्रति एक सही प्रति नहीं थी । यह अर्जी की "सही प्रतिलिपि" होना तो दूर, निर्वाचन अर्जीदार द्वारा उसके अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित प्रति भी नहीं थी । इसके अलावा, अर्जी के सत्यापन खंड में खाली स्थान थे और प्ररूप सं. 25 में शपथपत्र विधि की अपेक्षा के अनुरूप नहीं था । इसके अलावा, इस बात पर भी जोर दिया गया था कि निर्वाचन अर्जीदार ने निर्वाचन अर्जी की उतनी प्रतियां फाइल नहीं की थीं जितने निर्वाचन अर्जी में प्रत्यर्थियों का उल्लेख किया गया था । अपीलार्थी के काउन्सेल द्वारा उठाए गए अंतिम मुद्दे को उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष के आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसे अपीलार्थी द्वारा फाइल किए गए आवेदन में नहीं लिया गया था । दूसरे शब्दों में, इस मुद्दे पर न्यायालय में प्रथम बार बहस की गई थी । ऐसी स्थिति होने के कारण, उच्च न्यायालय ने उक्त दलील को न्यायसंगत रूप से नामंजूर कर दिया था ।

14. तथापि, आवेदन में उठाए गए अन्य पहलुओं के संबंध में उच्च न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि अपीलार्थी ने उस पर तामील की गई निर्वाचन अर्जी की मूल प्रति फाइल नहीं की थी बल्कि उस प्रयोजनार्थ फाइल किए गए आवेदन के साथ, जो कि 2018 का निर्वाचन आवेदन सं. 3 है, निर्वाचन अर्जी की अभिकथित रूप से तामील की गई प्रति की केवल फोटो-प्रति ही प्रस्तुत की थी । उच्च न्यायालय ने यह पाया कि अपीलार्थी की एकमात्र शिकायत यह थी कि उसे तामील की गई निर्वाचन अर्जी की प्रति पर "सही प्रति" शब्द नहीं थे । उस दलील को **मुरारका**

राधे श्याम राम कुमार बनाम **रूप सिंह राठौड़**[1], **चौ. सुब्बाराव** बनाम **सदस्य, निर्वाचन अधिकरण**[2] और **टी. एम. जैकब** बनाम **सी. पौलोस और अन्य**[3] वाले मामलों में इस न्यायालय की संविधान पीठ की प्रतिपादना का अवलंब लेते हुए नामंजूर कर दिया गया था, जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस संबंध में कि तामील की गई प्रति "सही प्रति" है अथवा नहीं, वास्तविक कसौटी यह पता लगाना है कि क्या किसी सामान्य व्यक्ति को भ्रमित करने के लिए मूल प्रति से कोई फेरफार किया गया है और यदि अधिनियम की धारा 81(3) की अपेक्षाओं का सारवान् रूप से अनुपालन किया गया है तो निर्वाचन अर्जी को प्रारंभ में ही खारिज नहीं किया जा सकता है ।

15. हमें उच्च न्यायालय से इस संबंध में सहमत होना चाहिए कि अपीलार्थी के इस तर्क की परीक्षा करने के लिए कि उसे तामील की गई प्रति मूल निर्वाचन अर्जी की सही प्रति थी अथवा नहीं, उसके लिए यह अनिवार्य था कि वह उसे वास्तव में तामील की गई अर्जी की प्रति न कि उसकी फोटो-प्रति प्रस्तुत करता । अपीलार्थी की इस शिकायत की परीक्षा कि सत्यापन खंड में कुछ खाली स्थान छोड़े गए थे या उसमें तात्विक त्रुटियां थीं, केवल तभी की जा सकती थी यदि न्यायालय के समक्ष अर्जी की वही प्रति प्रस्तुत की गई होती जो कि वास्तव में अपीलार्थी को तामील की गई थी । उच्च न्यायालय मामले की आगे परीक्षा करने के बजाय इसी एकमात्र आधार पर अपीलार्थी के वाद को खारिज कर सकता था ।

16. तथापि, अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष की गई शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के पैरा 35 में अभिलिखित यह तथ्यात्मक स्थिति सही नहीं है कि अपीलार्थी ने न्यायालय में वह प्रति प्रस्तुत नहीं की थी जो कि उसे वास्तव में तामील की गई थी । इस संबंध में, अपीलार्थी ने 2018 के निर्वाचन आवेदन सं. 3 के साथ वास्तव में तामील की गई प्रति की फोटो-प्रति प्रस्तुत की थी और वास्तव में तामील की गई मूल प्रति को सुनवाई के समय प्रस्तुत करने

---

[1] [1964] 3 एस. सी. आर. 573.

[2] [1964] 6 एस. सी. आर. 213.

[3] (1999) 4 एस. सी. सी. 274.

का वचनबंध भी किया था और यह कि वह सुनवाई के समय इस प्रकार प्रस्तुत की गई थी और उच्च न्यायालय को सौंप दी गई थी । यह विनिर्दिष्ट अभिवाक् विशेष इजाजत याचिका के आधार (प) में किया गया है । दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने उस संबंध में प्रत्यक्ष त्रुटि कारित की थी । यदि ऐसा है तो पक्षकारों को इस शिकायत पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अवनत करना उचित होगा कि अपीलार्थी को वास्तव में तामील की गई प्रति अधिनियम की धारा 81(3) के अर्थान्तर्गत सही प्रति नहीं है । हम ऐसा कहने के लिए इसलिए भी प्रेरित हुए हैं क्योंकि अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष किया गया अभिवाक् यह है कि अपीलार्थी ने उसे तामील की गई निर्वाचन अर्जी की प्रति में 20 त्रुटियों की ओर संकेत किया था और जिसका एक चार्ट विशेष इजाजत याचिका के खंड 4 के पृष्ठ 855-867 पर संलग्न किया गया है, जो कि अपीलार्थी के अनुसार, तात्विक त्रुटियां थीं जिसके कारण यह निष्कर्ष निकालना आवश्यक था कि उसे तामील की गई अर्जी की प्रति अधिनियम की धारा 81(3) के अर्थान्तर्गत "सही प्रति" नहीं थी । हम यह पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में इस दलील पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है । इस कारण भी, विचाराधीन आवेदन के संबंध में, जो कि 2017 का निर्वाचन आवेदन सं. 3 है, उच्च न्यायालय के विनिश्चय को अपास्त करना होगा और पक्षकारों को उस पर विधि के अनुसार उसके अपने गुणागुण के आधार पर नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अवनत करना होगा । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, हम जानबूझकर परस्पर विरोधी अभिवचनों और इस विवाद्यक के गुणागुण के संबंध में दी गई दलीलों का उल्लेख करने से प्रविरत रहे हैं जिससे कि किसी भी पक्षकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और 2017 के प्रतिप्रेषित निर्वाचन आवेदन सं. 3 को विधि के अनुसार नए सिरे से विनिश्चित किया जा सके । संबंधित पक्षकारों के पास इस संबंध में उपलब्ध सभी दलीलों को खुला रखा जाता है ।

17. हम शीघ्रतापूर्वक यह जोड़ सकते हैं कि 2017 के निर्वाचन आवेदन सं. 3 में निर्वाचन अर्जी को खारिज करने के लिए विनिश्चित किया जाने वाला प्रश्न अधिनियम की धारा 81(3) के अननुपालन और

उससे निकलने वाले परिणामों तक सीमित होगा, जिसके अंतर्गत धारा 86(1) भी है । पश्चात्वर्ती उपबंध के अधीन निर्वाचन अर्जी को केवल उस आधार पर न कि अधिनियम की धारा 83 के अधीन अपेक्षाओं के किसी अननुपालन के प्रतिनिर्देश से खारिज करना परिकल्पित है ।

18. चूंकि हम पक्षकारों को 2017 के निर्वाचन आवेदन सं. 3 पर नए सिरे से विधि के अनुसार विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अवनत करने के लिए बाध्य है और यदि अपीलार्थी उच्च न्यायालय को इस बात के लिए प्रेरित करने की स्थिति में होता है कि उक्त आवेदन को मंजूर किया जाए, तो निर्वाचन अर्जी को अधिनियम की धारा 81(3) के साथ पठित धारा 86(1) के अधीन प्रारंभ में ही खारिज किया जाना होगा । तथापि, यदि वह आवेदन असफल होता है तो अपीलार्थी को 2017 के निर्वाचन आवेदन सं. 6 में निर्वाचन अर्जी को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7, नियम 11(क) और (घ) के अधीन इस आधार पर खारिज करने के लिए कि निर्वाचन अर्जी में कोई वाद-हेतुक प्रकट नहीं किया गया है या यह कि वह विधि द्वारा वर्जित है, उठाए गए मुद्दों को फिर से चुनौती देने या उसे पुनरुज्जीवित करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है । उस दशा में, अपीलार्थी 2017 के प्रतिप्रेषित निर्वाचन आवेदन सं. 3 में दिए गए निर्णय को चुनौती दे सकेगा और उसे 2017 के निर्वाचन आवेदन सं. 6 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरुद्ध नए सिरे से विशेष इजाजत याचिका फाइल करने की स्वतंत्रता होगी । इसके अतिरिक्त, ऐसी दोनों विशेष इजाजत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जा सकती है । इस संबंध में सभी प्रश्नों को, जब भी ऐसा अवसर उद्भूत होता है, समुचित रूप से विनिश्चित करने के लिए अनिर्णीत छोड़ा जाता है । हम तत्समय इस निर्णय को उक्त विवाद्यकों से बोझिल नहीं करना चाहते हैं और उन्हें अनिर्णीत छोड़ते हैं ।

19. तद्नुसार, हम इस अपील को निम्नलिखित निबंधनों के अनुसार मंजूर करते हैं :–

(i) गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 2017 की निर्वाचन अर्जी सं. 1 में 2017 के निर्वाचन आवेदन सं. 2 में पारित तारीख 20

अप्रैल, 2018 के निर्णय और आदेश को कायम रखा जाता है और इसके परिणामस्वरूप उस विनिश्चय के विरुद्ध फाइल की गई अपील खारिज की जाती है ।

(ii) गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 2017 की निर्वाचन अर्जी सं. 1 में 2017 के निर्वाचन आवेदन सं. 3 में पारित तारीख 20 अप्रैल, 2018 का निर्णय और आदेश अपास्त किया जाता है और पक्षकारों को उक्त आवेदन पर नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अवनत किया जाता है, जिसे इस आदेश के निबंधनानुसार उच्च न्यायालय की फाइल पर उसके मूल संख्यांक पर प्रत्यावर्तित किया जाता है । उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह प्रतिप्रेषित आवेदन का विनिश्चय यथाशीघ्र, अधिमानतः एक मास के भीतर करे । अतः, 2017 के निर्वाचन आवेदन सं. 3 के संबंध में दिए गए विनिश्चय के विरुद्ध की गई अपील भागतः मंजूर की जाती है ।

(iii) गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 2017 की निर्वाचन अर्जी सं. 1 में 2017 के निर्वाचन आवेदन सं. 6 में पारित तारीख 20 अप्रैल, 2018 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील का निपटारा अपीलार्थी को इस बात की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए किया जाता है कि वह 2017 की निर्वाचन अर्जी सं. 1 में प्रतिप्रेषित अपने 2017 के निर्वाचन आवेदन सं. 3 के नामंजूर किए जाने की दशा में उसी विनिश्चय को नए सिरे से चुनौती दे सकेगा । उस विशेष इजाजत याचिका की सुनवाई, यदि आवश्यकता उत्पन्न हो तो 2017 के निर्वाचन आवेदन सं. 3 के संबंध में पारित किए जाने वाले आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत याचिका के साथ सदृशतापूर्वक की जाए ।

20. अपीलों और उससे संलग्न आवेदनों का निपटारा उपर्युक्त निबंधनों में किया जाता है । खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

अपीलों और उससे संलग्न आवेदनों का तद्नुसार निपटारा किया गया ।

ग्रो.